

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल- इलाहाबाद

पत्रांक 766 / 310330/20 / पंजीकरण "सी" श्रेणी / 18-19

दिनांक 07-8-2018

पंजीकरण सं० 08/2018-19

पंजीकरण प्रमाण पत्र

श्री अनवर अली पुत्र श्री अहमद अली, निवासी-52 गज़िया माधोपुर, धाना नैनी, तहसील-करछना, जिला इलाहाबाद को ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग परिमण्डल- इलाहाबाद में भवन/मार्ग एवं पुल के लिये निर्माण के लिये "सी" श्रेणी में टेकेंदारी हेतु पंजीकृत किया जाता है।

यह प्रमाण पत्र ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग परिमण्डल- इलाहाबाद के अन्तर्गत समस्त प्रखण्डों में मान्य होगा तथा इस प्रतिबन्ध के साथ दिनांक 30.08.2021 तक वैध होगा कि किसी भी समय टेकेंदार द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रपत्र/तथ्य यदि गलत पाया जाता है तो पंजीकरण स्वतः समाप्त हो जायेगा, एवं नियमानुसार विधिक कार्यवाही भी की जायेगी। इस प्रमाणपत्र की वैधता दिनांक 30.08.2021 के बाद स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

नोट- टेकेंदार को पंजीकरण/पंजीकीकरण कराने के उपरान्त
अन्य विभाग को नियमों के अन्तर्गत अधिकारों का पंजीकरण कराना
पूर्व साहसिक प्रयास करना अनिवार्य है।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समस्त अधिशाही अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग परिमण्डल- इलाहाबाद।
2. अधिशाही अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड इलाहाबाद को दूको बैंक, शाखा एन०एम०पी० इलाहाबाद द्वारा निर्गत एच०डी०आर० सं०-117283 दिनांक 23.07.2018 जमा धनराशि रु० 1,00,000.00 जो अधोहस्ताक्षरी के पदनाम बंधक है, मूलरूप में इस निर्देश के साथ संलग्न कर प्रेषित है कि कृपया उक्त जमानत धनराशि को अपनी बैंक कस्टडी में रख लें और जब तक इस स्तर से कोई आदेश/निर्देश निर्गत न किये जायें तब तक बंधक मुक्त न करें (संलग्नक मूल रूप में)।
3. श्री अनवर अली पुत्र श्री अहमद अली, निवासी-52 गज़िया माधोपुर, धाना नैनी, तहसील-करछना, जिला इलाहाबाद द्वारा अधिशाही अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड इलाहाबाद।

अधीक्षण अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
परिमण्डल इलाहाबाद
05/8/18

अधीक्षण अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
परिमण्डल इलाहाबाद।
03/8/18

18